



2026:AHC:33721-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **29880/2025**

राधे श्याम केशरवानी एवं 2 अन्य याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: ठाकुर प्रसाद दुबे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने यह इंगित किया है कि तत्काल मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके और उन्होंने बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और इसे इस स्वतंत्रता के साथ वापस लेना चाहते हैं कि वे उचित स्तर पर उचित मंच के समक्ष अपनी बात रख सकें।
4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।
5. एफ.आई.आर. की प्रमाणित प्रति नियमानुसार वापस कर दी जाए।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

फरवरी 16, 2026

के.एस.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"